



भारत नरिवाचन आयोग में पारदर्शता सुनिश्चिती करना

यह एडिटरियल 13/01/2022 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "Act Now, Recast The Selection Process Of The ECs" लेख पर आधारित है। इसमें भारत नरिवाचन आयोग (ECI) के सदस्यों की नयुक्ति से संबद्ध मुद्दों की चर्चा की गई है।

भारत नरिवाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) एक संवैधानिक निकाय है जिसकी परकिलपना भारतीय संवधान में नहितिस्मता, न्याय, नषिपक्षता, स्वतंत्रता के मूल्यों को बनाए रखने और चुनावी शासन के अधीक्षण, नदिशन एवं नयितरण के संबंध में वधिके शासन का पालन कराने वाले निकाय के रूप में की गई है।

इसकी स्थापना वशिवसनीयता, स्वतंत्रता, नषिपक्षता, पारदर्शता, अखंडता, जवाबदेहता, स्वायत्तता और पेशेवर दक्षता के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए चुनाव आयोजित कराने के लिये की गई थी।

हालाँकि, पछिले कुछ वर्षों में ECI को चुनावी शासन में इसकी स्वतंत्रता एवं नषिपक्षता और इसके सदस्यों की नयुक्ति प्रक्रिया के संबंध में कई आरोपों का सामना करना पड़ा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि ECI के बेहतर कार्यकरण के लिये इसके सदस्यों की नयुक्ति में एक अधिक पारदर्शी एवं स्वतंत्र तरीका अपनाए जाने की आवश्यकता है जो कार्यपालिका की किसी प्रभावी भागीदारीपूर्ण भूमिका से भी मुक्त हो।

भारत नरिवाचन आयोग के सदस्य

- **संवैधानिक प्रावधान:** भारतीय संवधान का भाग XV नरिवाचन से संबंधित है और भारत नरिवाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
 - संवधान में नहिति [अनुच्छेद 324-329](#) में आयोग और इसके सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं।
- **सांविधिक प्रावधान:** मूल रूप से आयोग में केवल एक नरिवाचन आयुक्त होता था, लेकिन नरिवाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के अधिनियमन के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया है।
 - आयोग में एक [मुख्य नरिवाचन आयुक्त](#) (Chief Election Commissioner) और दो नरिवाचन आयुक्त (Election Commissioners) होते हैं।
- **संसद की भूमिका:** ECI के सदस्यों की नयुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है।
 - हालाँकि, [अनुच्छेद 324 \(2\)](#) में प्रावधान किया गया है कि संसद नरिवाचन आयुक्तों (EC) की नयुक्ति के संबंध में अधिनियम के नरिमाण की शक्ति रखती है।
- **नरिवाचन आयुक्तों की नयुक्ति के संबंध में सफिराशियाँ:** वर्ष 1975 में, [न्यायमूर्ति तारकंडे समिति](#) ने सफिराशि की थी कि नरिवाचन आयुक्तों की नयुक्ति एक समिति की सलाह पर की जाए जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में वपिक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों।
 - वर्ष 1990 में [दनिश गोस्वामी समिति](#) और वर्ष 2015 में [वधि आयोग](#) ने भी यही सफिराशि की।
 - [द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग \(ARCs\)](#) की चौथी रिपोर्ट (2007) ने इसके अतिरिक्त यह सफिराशि की कविधि मंत्रि और राज्य सभा के उपसभापति को भी ऐसे नयुक्ति करने वाले ऐसे कॉलेजियम में शामिल किया जाए।

संबद्ध समस्याएँ

- **वधि अधिनियमन में संसद की वफिलता:** नरिवाचन आयुक्तों की नयुक्ति के संबंध में वधि नरिमाण के लिये संसद उत्तरदायी है।
 - लेकिन वर्ष 1989 में एक वधि के नरिमाण (जसिके माध्यम से नरिवाचन आयुक्तों की संख्या एक से बढ़ाकर तीन कर दी गई) के अलावा संसद ने अब तक नयुक्ति प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया है।
- **नयुक्ति के लिये कार्यपालिका पर अत्यधिक नरिभरता:** नरिवाचन आयोग सत्तातूढ़ दल और अन्य दलों के बीच एक अर्द्ध-न्यायिक भूमिका का नरिहन भी करता है। इस परिदृश्य में नरिवाचन आयुक्तों की नयुक्ति में कार्यपालिका को एकमात्र भागीदार नहीं होना चाहिये।

- केंद्र द्वारा नरिवाचन आयुक्तों की नयुक्ति कयि जाने का वर्तमान अभ्यास **अनुच्छेद 14**, **अनुच्छेद 324(2)** और लोकतंत्र का **संवधान की मूल संरचना** के रूप में **उल्लंघन** करता है।

आगे की राह

- **बहु-संस्थागत समिति:** चूंकि भारत नरिवाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र की इमारत को संभाले रखने वाला मेहराब का पत्थर है, नरिवाचन आयुक्तों के नषिपक्ष एवं पारदर्शी चयन के लयि एक बहु-संस्थागत, द्वदिलीय समिति की स्थापना से ECI की कथति और वास्तवकि स्वतंत्रता की अभवृद्धिकी जा सकती है।
 - नरिवाचन आयोग के कार्यों की **अर्द्ध-न्यायकि प्रकृति** इसे वशिष रूप से महत्त्वपूर्ण बनाती है कनयुक्ति प्रकरयि कठोर लोकतांत्रकि सिद्धांतों के अनुरूप हो।
 - मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, **सत्रकता आयुक्त** और **केंद्रीय अन्वेषण बयूरो** के नदिशक जैसे प्राधिकारों की नयुक्ति के संबंध में ऐसी प्रकरयि पहले से मौजूद भी है।
- **द्वतीय प्रशासनकि सुधार आयोग रिपोर्ट की सफिरशि:** इसने सफिरशि की है कभारत नरिवाचन आयोग के सदस्यों की नयुक्ति के लयि **प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कॉलेजियम** होना चाहयि जो राष्ट्रपति को अनुशंसाएँ भेजता हो।
 - **अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2015)** मामले ने भी नरिवाचन आयोग के लयि एक कॉलेजियम प्रणाली की माँग को बल दयिा था।
 - **मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर** और **न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड** की एक पीठ ने भी इस बात का संज्ञान लयिा था कनरिवाचन आयुक्त देश भर में चुनावों का अधीक्षण एवं आयोजन करते हैं और उनका चयन अधिकितम पारदर्शी तरीके से कयिा जाना चाहयि।
- **संसद की भूमिका:** संसद आगे बढ़ते हुए और नरिवाचन आयुक्तों के चयन के लयि एक बहु-संस्थागत, द्वदिलीय कॉलेजियम की स्थापना करने वाली वधििका नरिमाण कर न्यायकि गुण-दोष व्याख्या (Judicial Strictures) की स्थिति से बचने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिा सकती है।
 - ECI की स्वतंत्रता के मुद्दे पर **संसद में बहस एवं चर्चा की आवश्यकता** है और इसके उपरांत आवश्यक कानून पारति कयि जाने चाहयि।
 - शक्तियों का पृथक्करण दुनयिा भर की सरकारों के लयि स्वर्ण मानक है और भारत को भी इस मानक पर पीछे नहीं रहना चाहयि।

नषिकर्ष

ECI के संवैधानकि उत्तरदायित्वों के नरि्वहन के लयि एक नषिपक्ष एवं पारदर्शी नयुक्ति प्रकरयि की आवश्यकता है जो नदिा से परे हो और यही भारतीय राजनीति के इस महत्त्वपूर्ण स्तंभ में लोगों के भरोसे की पुष्टि करेगी। नरिवाचन आयुक्तों की नयुक्ति प्रकरयि पर मौजूदा आवरण पर्याप्त रूप से उस ढाँचे को ही कमजोर करता है जसि पर भारत की लोकतांत्रकि आकांक्षाएँ टिकी हुई हैं।

अभ्यास प्रश्न: “नरिवाचन आयुक्तों की नयुक्ति की वर्तमान प्रणाली में व्याप्त कमियों को दूर करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने के लयि पर्याप्त सुरक्षा उपाय कयि जाने चाहयि कनैतिक और सक्षम लोग ही संबंधति पदों पर आसीन हों।” टपिपणी कीजयि।